न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–304/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00261)

1. उम्मेद सिंह व अलबाद सिंह उम्र 79 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम कानसिंहपुरा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. हणमान सिंह पुत्र श्री भागीरथ, सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानसिंहपुरा तहसील बहाना जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार बुहाना भू धारक राजस्थान सरकार।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश बागोरिया अपीलार्थी** की ओर से

निर्णय

दिनांकः 27.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 पारित करने का एकमात्र आधार राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के यहॉ अपील लम्बित होना माना तथा रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पूर्व खातेदारी में होने के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है जबकि आराजी पूर्व खातेदारी में होना रास्ते पर अतिक्रमण करने का आधार नही हो सकता तथा एक खातेदार काश्तकार को उसके खेत में जाने के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 164/1 रकबा 0.0136 हैक्टयर है जिसकी किस्म गैर मुमकीन रास्ता रिकार्ड में दर्ज है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 160 को जाता है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिक्रमण को हटाये बिना अन्य रास्ते का कोई उपयोग ही नही रह जावेगा। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 164/1 को पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में होने तथा निमार्ण बाप दादाओं द्वारा किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) की मूल भावना के विपरित है। इस धारा में बिना रास्ते की भूमि को आवश्यकता प्रमाणित करने पर रास्ता प्रदान किये जाने के कानूनी प्रावधान है। इस धारा के अधीन अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन संख्या 69/16 दिनांक 09.07.2016 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की जवाब देही व कई अन्य सहखातेदारों को इकबाली जवाब दावे के आधार पर दो खेतों की सीमाओं पर कायम किया गया था तथा रास्ते हेतु काम में ली गई भूमि की एवज में डीएलसी की दुगुनी राशि अपीलान्ट द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने के बाद उक्त रास्ते को गैरमुमकीन रास्ता कायम किया गया था, कटाणी रास्ते खातेदार द्वारा खातेदारी सरेंडर कायम रास्ते 25(1) के तहत राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज रास्ते की नाईयत में कोई फर्क या भिन्नता नही होती है। गैर मुमकिन रास्ता किसी भी प्रकार का हो वह गैरमुमकीन रास्ता ही होता है और उसमें अवरोध या अतिक्रमण धारा 91 (ए) राजस्व अधिनियम के तहत हटाये जाने योग्य होते है किन्तु अधीनस्थ द्वारा इस विधिक स्थिति पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुझुनू द्वारा मु.नं. 12/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 एवं तहसीलदार बुहाना का आदेश पुष्ट करते हुऐ अतिक्रमी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना प्रार्थनीय है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार बुहाना स्वयं के द्वारा मौका देखकर एवं विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का गहनता से अवलोकन कर एवं सच्चाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया है जहॉ प्रकरण में तहसीलदार बुहाना द्वारा कार्यवाही की जानी अभी शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट भी तहसीलदार बुहाना के समक्ष अपना पक्ष रखकर चाराजोही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 में कानूनी त्रुटि परिलक्षित नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
सम्भागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.12.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर